117

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : एस.एस. अली
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 530–तीन/2009 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–4–2009 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग प्रकरण कमांक 966/अपील/2007–08.

ओंकार प्रसाद तिवारी तनय ददौलन तिवारी
निवासी ग्राम जमुनिहाई तहसील नागौद जिला
सतना म0प्र0

——— आवेदक

विरूद्ध

1. हरिशरंण
2. रामपाल
3. रमाकान्त तीनों पिसरान स्व0 रामप्रसाद
4. द्रोपदी पत्नी स्व0 रामप्रसाद
निवासीगण सिंहपुर तहसील नागौद जिला सतना म0प्र0
5. अनिल कुमार उर्फ अन्नू
6. बिनय कुमार
7. अवधेश कुमार तीनों पिसरान स्व. भगवानदास चतुर्वेदी
कमांक 05 व 07 नावालिग जरिये बली संरक्षिका मां
श्रीमती कलावती पत्नी भगवानदास
कमांक 5 ता 7 निवासी ग्राम जमुनिहाई तहसील नागौद
जिला सतना म0प्र0

——— अनावेदकगण

.....

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदक
श्री कुंवरसिंह कुशवाह, अभिभाषक, अनावेदक कं. 3 व 4

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 24/10/2017 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग के आदेश दिनांक 24–4–2009 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसील न्यायालय में अनावेदक कमांक 5 लगायत 7 की ओर से संहिता की धारा 109/110 के तहत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम जमुनिहाई तहसील नागौद स्थित आराजी कमांक 92/3 रकवा 0.59ए, 280/1 रकवा 0.04, 281 रकवा 0.02, 267 रकवा 0.11, 320/3 रकवा 0.35, 322/2 रकवा 0.04, 301 रकवा 0.31, 328 रकवा 0.93 एवं आराजी नं. 334 रकवा 0.16 ए. कुल 09 कित के भूमिस्वामी अनावेदक शासकीय रिकार्ड है जिनपर अनावेदक अपने जीवन काल तक काबिज दाखिल होकर कास्तकारी करते रहे एवं उस पर स्थित फालों का उपयोग करते रहे, उनकी मृत्यु के बाद आवेदक काबिज दाखिल है तथा फलों का उपयोग करते आ रहे हैं। ऊपर वर्णित भूमियों एवं बगीचा को अनावेदक द्वारा दिनांक 03–12–99 को वसीयतनामा निष्पादित कराकर आवेदकगणों को अपनी मृत्यु के बाद मालिक व स्वामी बना दिया गया था, जिसके अनसार वे उक्त भूमियों पर काबिज दाखिल हैं अतः उनके नाम नामान्तरण किया जावे। वसीयतनामा के अनुसार आराजी नं0 303 रकवा 0.23 ए0, 304 रकवा 0.75 ए0 एवं 306 रकवा 0.60 ए0 कुल रकवा 1.58 ए0 का वसीयतनामा अनावेदक द्वारा अनिल उर्फ अन्नू के पक्ष में लिख दिया था जिसके कारण इन भूमियों के भूमिस्वामी अनिल हो गया। विचारण न्यायालय द्वारा वसीयतनामा एवं साक्षियों के कथन तथा लैखिक दस्तावेजों के आधार पर नामांतरण स्वीकार किया। उक्त आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी सतना के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 09–6–08 से अपील निरस्त की। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा संभाग ने आदेश दिनांक 24–9–2000 से अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट

है कि प्रत्यावर्तन आदेश के पालन में नायब तहसीलदार ने पंजीकृत वसीयत का विधिवत परीक्षण कर आदेश पारित किया है। नायब तहसीलदार ने वसीयत एवं दस्तावेजों पर पूर्ण विवेचना कर अनावेदकगण के पक्ष में नामांतरण आदेश पारित किया है। अनुविभागीय अधिकारी ने भी नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 19–2–2007 को उचित मानते हुये आवेदक की अपील को निरस्त किया है। अपर आयुक्त द्वारा दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्ष को विधिसम्मत मानते हुये स्थिर रखा है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त रीवा संभाग का आदेश दिनांक 24–4–2009 स्थिर रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर